


२१/८०/२०१८/०३२४

न्यायालय श्रीमान् संदस्य महोदय म०प्र० राजस्व मण्डल

गवालियर सर्किट कोर्ट रीवा म०प्र०



- 1— रावेन्द्र सिंह तनय स्व० श्री रघुनाथ सिंह, निवासी ग्राम अजगरहा तह० हुजूर, जिला रीवा म०प्र०
- 2— यादवेन्द्र सिंह तनय स्व० श्री रघुनाथ सिंह, निवासी ग्राम उमरिहा, तह० हुजूर, जिला रीवा म०प्र०

अधिनक्षित प्रकार | १०.०१.१८

निगरानीकर्तागण/आवेदकगण

बनाम

*My* छत्रपाल सिंह तनय स्व० श्री जगदेव सिंह, निवासी ग्राम उमरिहा,  
कल्पक आपूर्क काट तह० हुजूर, जिला रीवा म०प्र०

गैरनिगरानीकर्ता/अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 30.11.2017

बावत् प्रकरण क्रमांक ५७/अ-२७/१६-१७

नायब तहसीलदार वृत्त बनकुईयॉ तह०

हुजूर, जिला रीवा म०प्र०

अंतर्गत धारा ५०(१)म०प्र०भ०-रा०संहिता १९५९

### महोदय

प्रकरण के तथ्य :-

यह कि अनावेदक छत्रपाल द्वारा आराजी नं० २०/२  
रकवा ०.१६२हे रिथत ग्राम बरा-३९५, प.ह. इटहा, तह० हुजूर,  
जिला रीवा के बटवारा नामांतरण हेतु आवेदन अधीनस्थ  
न्यायालय के समक्ष दिया गया जबकि अनावेदक छत्रपाल सिंह  
आवेदित भूमि में सह खातेदार नहीं है और न ही

*S* रावेन्द्रसिंह  
पादवेद्धसिंह

56  
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश राजालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक ..... II/ग्रा। शीफा/13। ०३२४ ..... जिला रामगढ़

रावेन्द्र अमित विरुद्ध उभयपाल अमित

1	2	3
15-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री रावेन्द्र अमित अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ नायब तहसीलदार तहसील इकूट के प्रकरण क्रमांक ५७/आ. २७/ १६/२ में पारित आदेश दिनांक ३०-११-१८ के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रामगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक २५-३-१९ को कलेक्टर रामगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	

सदस्य

रावेन्द्र अमित  
पादबोध सिंह